अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या-22/1728/26-3-13-4(41)/06-टीसी-1

प्रेषक,

के0राम मोहन राव,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ- दिनांक 21 नवम्बर, 2013

विषय- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, वन नियमावली, 2008 एवं संशोधन नियम-2012 की मासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2008 से किया जा रहा है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन दावा धारकों के अधिकारों का निर्धारण करना है, जो अपनी आजीविका हेतु वनों के ऊपर निर्भर हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस अधिनियम की मासिक समीक्षा किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु मासिक प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र में मासिक प्रगति प्रत्येक माह की 07 तारीख तक निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ को अवश्य उपलब्ध कराने का

http://shasanadesh.up.nic.in

कष्ट करें। निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 उक्त सूचना संकलित करके प्रत्येक माह की 09 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

संलग्नक-निर्धारित प्रपत्र।

भवदीय,

(के0राम मोहन राव)
सचिव

संख्या-1728/26-3-2013 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

संलग्नक-निर्धारित प्रपत्र।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

माह.....2013

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006, वन नियमावली 2008 एवं संशोधन नियम, 2012 की मासिक प्रगति का प्रपत्र

क्रमांक	जनपद का नाम	वन निवासी के प्रकार	ग्राम सभा स्तर पर प्रस्तुत दावों की संख्या		ग्राम सभा द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति को प्रेषित किये गये दावों की संख्या		उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित दावों की संख्या		जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत दावों की संख्या		वितरित टाइटिल की संख्या		वितरित टाइटिल से आच्छादित क्षेत्रफल (एकड. में)		निरस्त दावों की संख्या	
			व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		अनुसूचित जनजाति वन निवासी														
		अन्य परम्परागत वन निवासी														

http://shasanadesh.up.nic.in